कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11.07.2024

विषयः- हत्या के मामले मे वांछित अभियुक्त विजय यादव उर्फ विक्की थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-362/2024 धारा 302,201,34 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय यादव उर्फ विक्की पुत्र राधे यादव निवासी ग्राम तिलेसरा थाना विरनो जनपद गाजीपुर को आज दिनांक-11.07.2024 को समय करीब 12.45 बजे ढकवा तिराहा थाना चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 17.06.2024 को वादी मुकदमा श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र स्व0 मुसाफिर यादव निवासी ग्राम व पोस्ट तिलेसड़ा थाना बिरनो जिला गाजीपुर ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनके बड़े भाई आलोक यादव पुत्र स्व0 मुसाफिर यादव जो करीब 06 वर्ष बाद 3 मार्च को सऊदी अरब से घर आये थे और शादी के बाद से ही वो घर रह रहे थे। दिनांक 09-06-2024 की शाम को विजय यादव उर्फ विक्की के मशीन पर पार्टी रखी गई थी जिसमें उनके भाई आलोक यादव, रोहित यादव व 3-4 अन्य लोग भी शामिल थे, वहाँ से उनके भाई देर रात करीब 01 बजे घर आये थे। दिनांक 10-06-2024 को सुबह उनके भाई आलोक यादव ने उन्हे बताया कि शाम को हम लोग (विजय यादव उर्फ विक्की यादव व रोहित यादव जो दोस्त पार्टी में शामिल थे) घुमने के लिए लखनऊ जाएंगे और उसी शाम 6 बजे के करीब वह घर से निकले और विजय उर्फ विक्की के घर गये, वहां पार्टी में शामिल अन्य लोग कार लेकर आये थे फिर वहां से सभी लोग साथ घूमने के लिए चले गये। वादी ने शाम 08.10 PM के करीब उन्हे फोन किया तो उनसे बात हुई थी और उसी शाम को उनकी भाभी प्रतिभा यादव से भी उनके भाई आलोक की करीब 09.30 PM पर बात हो रही थी कि तभी उनके साथ वाले दोस्तों ने आलोक का फोन रखवा दिया। सुबह वादी व अन्य परिवार के लोगों ने आलोक के नंबर पर फोन किया तो बंद बता रहा था। जब आलोक यादव दिनांक 10-06-24 को गए तो बताये थे कि वे दिनांक 12-06-24 को शाम या देर रात तक घर वापस आ जाएंगे लेकिन फिर वे दिनांक 12-06-24 को घर नहीं आये और न ही किसी प्रकार से फोन से उनसे सम्पर्क हो पाया तो फिर मुकदमा वादी ने विजय यादव उर्फ विक्की के मोबाइल पर फोन किया और अपने भाई से बात कराने को बोला तो बात नहीं कराया और पार्टी में कौन-कौन शामिल थे यह भी पुछने पर नहीं बताया और ना ही किसी का नंबर दिया। वादी ने किसी तरह से रोहित यादव का मोबाइल नंबर प्राप्त किया जिससे व्हाट्सअप पर विडियो काल पर बात हुई लेकिन वह भी उनके भाई के बारे में पुछने पर कोई संतोष

जनक जवाब नहीं दिया और जब वादी ने उसके सम्बन्ध में उसके पिता से पुछा तो वो भी कुछ नही बताये, रोहित के पड़ोस वाले बताये कि रवि यादव से रोहित यादव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है जो उसका रिश्तेदार है। रवि यादव के यहाँ पहुंचकर उससे भाई के बारे मे पूछा तो सही जवाब नही दिया और डाटकर भगा दिया। फिर वादी वहाँ से अपने थाना बिरनो में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो थाने पर तीन-चार अज्ञात मृतक की फोटो दिखाया गया जिसमें से एक की पहचान उन्होंने अपने भाई के रूप मे किया तो वहाँ से वादी को बताया गया कि ये लाश चौबेपुर थानाक्षेत्र में मिली है फिर वहाँ से सीधे चौबेपुर थाने पर आए और यहाँ से शिवपुर पोस्टमार्टम घर पहुंचे और अपने भाई आलोक यादव की पहचान की, तत्पश्चात वादी मुकदमा/पीड़ित ने उनके भाई की हत्या विजय यादव उर्फ विक्की, रोहित यादव व रवि यादव एवं कुछ अज्ञात लोगो के द्वारा किये जाने के संबंध मे दिए गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चौबेपुर मे मु0अ0सं0-362/2024 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 विद्याशंकर शुक्ल द्वारा संपादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त विजय यादव उर्फ विक्की ने पूछताछ करने पर बताया कि रोहित यादव तथा रवि यादव हमारे मित्र हैं। इनका हमारे यहां आना-जाना रहता है। सप्ताह में एक दो बार इनका मछली,बाटी व दारु की दावत होती है जिसका खर्च रोहित ही उठाता है। मेरे गांव तिलेसडा का आलोक यादव पुत्र मुसाफिर हमलोगों के साथ रहता था। दावत व दारु पीने हम सब साथ-साथ ही जाते थे। आलोक तथा रोहित यादव मे कई बार विवाद हुआ था। एक दिन रोहित यादव ने हमसे बताया कि एक लडकी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसी लडकी से आलोक यादव भी प्रेम करता है, मै मना करता हूँ फिर भी आलोक मान नहीं रहा है तो उसको रास्ते से हटाना है। दिनांक-09.06.2024 को मेरे मशीन पर दावत का कार्यक्रम रखा गया था जिसमे आलोक यादव, रोहित, रवि और मै हम सभी लोगो ने खाना खाया व दारु पिए और उसी दौरान उसी प्रेम प्रसंग को लेकर आलोक व रोहित में विवाद हुआ था तो हम लोगो ने समझाया बुझाया। तभी हमारा, रोहित व रवि का प्लान बना कि दिनांक-10.06.2024 को लखनऊ चलने के बहाने आलोक को ले चलकर उसका रास्ते में काम तमाम किया जायेगा और फिर हम लोगों ने आलोक को दिनांक 10.06.2024 को शाम को घूमने का प्लान बताया तो वह तैयार हो गया। दिनांक 10.06.2024 को समय करीब 06 बजे आलोक यादव अपने घर से तैयार होकर लखनऊ घूमने चलने के लिये आ गया। मैं, आलोक,रोहित व रवि यादव सभी दारु पीकर फिर साथ में इनवा चौराहे की तरफ चल दिये जहां रोहित द्वारा चार पहिया गाडी मंगवाकर करीब 08.00 बजे उसी गाडी में बैठकर हम चारों लोग लखनऊ के लिये चले थे। समय करीब 11 बजे रात मे हमलोग सिधौना से आगे गोमती नदी पार करके भदहां गांव के करीब हाईवे से उतर कर बबुराही की तरफ ले जाकर गाडी से उतरकर दारु पीने के लिये चारो लोग बबुराही में बैठकर दारु पीये और जब नशा चढ़ गया तब रोहित यादव ने तमन्चे से आलोक यादव को एक कनपटी पर और एक मुंह पर गोली मार दिया। हमलोग उसकी लाश को वही बगल गढ्ढे मे करके वहाँ से चल दिये। रोहित गाडी से लाकर मुझे अपने गांव छोड़कर तथा वह और रवि यादव अपने-अपने गांव चले गये थे। तमन्चा रोहित यादव के ही पास है और तब से मै इधर-उधर लूक छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- विजय यादव उर्फ विक्की पुत्र राधे यादव निवासी ग्राम तिलेसरा थाना विरनो जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-11.07.2024 को समय करीब 12.45 बजे ढकवा तिराहा थाना चौबेपुर से।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 बृजेश पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 कृष्णानन्द पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी